विधान परिषद के द्‌वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्‌वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-03 का उत्तर

प्रश्न	**उत्तर**
3(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि तहसील कुरावली, जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत ग्राम-कल्यानपुर के गाटा संख्या-102 भू-अभिलेखों में तालाब के रूप में अंकित है ?	जी हाँ। जिलाधिकारी, मैनपुरी की आख्यानुसार गाटा संख्या-102 राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज है।
(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त तालाब की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्‌वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ?	जी हाँ, ग्राम कल्याणपुर के तालाब के गाटा संख्या-102/0.170 हे0 में से 0.040 हे0 पर कमलेश कुमार पुत्र बहादुर सिंह व राजेन्द्र सिंह व धीरेन्द्र सिंह पुत्रगण कप्तान सिंह व देव सिंह पुत्र रामऔतार सिंह के मकान काफी अरसे पूर्व बने हैं। कमलेश कुमार पुत्र बहादुर सिंह व देव सिंह पुत्र रामऔतार सिंह ने स्वेच्छा से अपना आंशिक निर्माण हटा लिया है।
(ग) यदि हाँ, तो क्या इस तालाब की जमीन को रिक्त कराने के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कर तालाब के रूप में पुनः विकसित करायेंगे ?	इस तालाब पर उक्त व्यक्तियों के मकान काफी अरसे पूर्व से बने हैं। प्रकरण में बहादुर सिंह आदि ने न्यायालय सिविल जज (प्रवर वर्ग) मैनपुरी में वाद संख्या-174/2002 बहादुर सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार योजित किया जिस पर मा0 न्यायालय द्‌वारा दिनांक 08.04.2005 को स्थगन आदेश जारी कर निर्देशित किया गया कि " विवादित भूमि व उस पर निर्मित मकान की स्थिति, प्रकृति एवं दशा के बारे में यथा स्थिति बनाये रखना उचित होगा।" प्रकरण में मा0 न्यायालय द्‌वारा पारित स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अंतिम निस्तारण के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
(घ) क्या उक्त तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों	प्रकरण में पूर्व प्रचलित वाद संख्या-174/2002 के आधार पर प्रकीर्ण वाद संख्या-49/2022 कमलेश

की सूची सदन की मेज पर रखेंगे?	कुमार आदि बनाम उ0प्र0 सरकार में दिनांक 31.05.2022 को राज्य की ओर से उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार कुरावली द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर पैरवी की जा रही है। उक्त तालाब पर राजेन्द्र सिंह व धीरेन्द्र सिंह पुत्रगण कप्तान सिंह का मकान बनाकर कब्जा है।
(ड) क्या दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करायेंगे?	प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अंतिम निस्तारण के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध संगत धाराओं में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।